अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 143 सन् 2016

अशोक कुमार सिंह व अन्य.....वादीगण

बनाम

चंद्रीका राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

18.12.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को वादीगण के आवेदन दिनांक 16.07.2018 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण द्वारा यह आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वादीगण का कथन है कि उन्होंने यह वाद वादपत्र के परिशिष्ट– 1 की जायदाद में अपना हकियत घोषित करने हेतु लाया है और इसके अलावा उन्होंने यह प्रार्थना किया है कि निबंधित बैनामा दिनांक 28.04.2015 जो प्रतिवादी फरीक 2 के द्वारा प्रतिवादी फरीक 1 के नाम से तहरीर किया गया है उसे शुन्य घोषित किया जाए और मुकदमे की जानकारी होने के पश्चात् प्रतिवादीगण द्वारा वाद संपत्ति

पर जबरदस्ती हस्तक्षेप कर वादीगण को बेदखल कदने की योजना बनाया जा रहा है और वे उन संपत्तियों को अन्य व्यक्तियों को बेचने के फिराक में हैं, जबकि वादीगण का हकियत एवं दखल कब्जा परिशिष्ट सं0 1 की जायदाद पर कई वर्षों से चला आ रहा है और वे उस भूमि में जोत अबाद करते चले आ रहे हैं, जिस कारण वादी का प्राईमा फेशी केस बनता है और सुविधा का संतुलन भी उन्हीं के पक्ष में है और यदि उक्त संपत्ति को प्रतिवादीगण द्वारा बिक्री कर दिया जाता है तो इससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः वादीगण न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि निषेधाज्ञा के आवेदन को स्वीकार किया जाए।

दूसरी तरफ प्रतिवादीगण द्वारा इस आवेदन का कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि वादीगण को प्रस्तुत मुकदमे में कोई प्राईमा फेशी कही नहीं है और सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है और यदि इंतनाई का आदेश पारित किया जाता है तो इससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत मुकदमा वाद संपत्ति पर अपना हकियत घोषित करने एवं बिक्रय पत्र दिनांक 28.04.2015 को शुन्य घोषित करवाने हेतु लाया गया है। वादीगण का कहना है कि वाद संपत्ति उनकी संपत्ति है जिसपर उनका दखल कब्जा

भी बरकरार है एवं दूसरी ओर प्रतिवादीगण इन बातों से इंकार करते हैं और उनका कहना है कि वादी ाक उक्त संपत्ति पर कोई दखल कब्जा नहीं है। वाद विचारण की प्रारंभिक अवस्था में है और अभी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभी यह तय करना सही नहीं है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनता प्रतीत होता है, किंतु यह आवश्यक है कि वाद की इस संपत्ति को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाए। अतः मुकदमे के निस्तारण तथा उभय पक्षों को आदेश दिया जाता है कि वे वादी संपत्ति के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें। इस आदेश के साथ वादी के आवेदन को निस्तारित किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29.01.2020

सब जज

सोनपुर सारण।